ग्राम पंचायत पंजाहडा विकास खण्ड व तहसील नूरपुर जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना:-

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, पंजाहडा विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री महिन्द्र पाल	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति पवन रेखा	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री बलवन्त सिंह	03-09-13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	**पैरा स०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशी {₹लाखों में }**
1.	4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0.35
2.	4.3	हस्तगत राशि को जमा न करना।	0.53
3.	6	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	विवरणानुसार
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.61
5.	8	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना।	2.46
6.	8.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	15.16

7.	9 .	मजदूरों को दोहरे भुगतान बारे।	0.05
8.	10.	अस्थाई अग्रिम का समायोजन न करना।	1.07
9.	11.	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय करना	2.31
10.	12.	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	2.31

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत पंजाहडा विकास खण्ड व तहसील नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 31-07-2017 से 04-08-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय पंजाहडा में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /15, 08/15 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 12/14,09/15 व 03/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत पंजाहडा विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:173 दिनांक 04-08-17 द्वारा सचिव, पंचायत पंजाहडा से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत पंजाहडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत पंजाहडा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	277329	68087	345416	5714	339702
2015-16	339702	16361	356063	20540	335523
2016-17	335523	139317	474840	34271	440569

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत पंजाहडा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट - 1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	641611	1629619	**2271230**	1962553	**308677**
2015-16	308677	1859801	**2168478**	1360064	**808414**
2016-17	808414	2686022	**3494436**	1978881	**1515555**

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB Ganoh	20030007727	46139.50
2.	----do------	50051936548	1532868.00
3.	----do------	50052250617	144173.00
4.	----do------	50051936480	27485.00
5.	----do------	50051936537	7863.00
6.	PNB Ganoh	3027000100037852	913.00
7.	----do------	3027000100055502	7007.99
8.	----do------	3027000100043075	100196.00
		cash in hand ex,secretary	53000.00
		cash in hand present secretary	929.00

cash in hand iwdp-6 cash book		262.00
cash in hand iwdp-18 cash book		64.00
TOTAL	**r/off**	**1920900.49**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1920900

(ख)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क-ख):- ₹1956124

अन्तर :- 35224

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण₹0.35 लाख का अन्तर :-

ग्राम पंचायत पंजाहड़ की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था ।वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹35224 का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 हस्तगत ₹0.53 लाख को जमा न करना :-

अंकेक्षण के दौरान सभा निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान श्री रमेश कुमार,पूर्व पंचायत सचिव के नाम ₹53000 हस्तगत दर्शाई गई है जोकि अंकेक्षण के दौरान तक जमा नहीं करवाई गई है उक्त राशि को सम्बंधित से ब्याज सहित वसूल कर सभा निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी जाएंगी। इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए चार रोकड़ बही व आठ पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -2** में दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि

सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.61 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3- 17 को पंचायत के राजस्व ₹60580 की वसूली शेष थी ।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	69205	11850	81055	420	80635
2015-16	80635	11880	92515	4775	87740
2016-17	87740	12400	100140	39560	60580

8 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹2.46 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव पंजाहड़ द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 3rd state ₹11446 , sbm ₹36000 MPLAD ₹25000 ,P.SMITTI ₹824 59 व SDP ₹15315 के शीर्ष के अन्तर्गत ₹246075 , इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹2.46लाख अधिक व्यय किए गए। जो कि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8.1 अनुदान ₹15.16 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-1 7 तक अनुदान **₹1515555** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत

द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :172 दिनांक 04-08-17 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत पंजाहडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 मजदूरो द्वारा एक ही अवधि को दो अलग-अलग निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाने के फलस्वरूप ₹ 0.05 लाख के दोहरे भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोलों में मजदूरो द्वारा एक ही अवधि अलग-अलग निर्माण कार्यो में हाजिरी लगाई गई है, जोकि एक गम्भीर मामला है।

(क)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	माह	रोकड़ बही पृष्ट	कुल भुगतान
80	नि० रास्ता/नाली केवल सिंह कोड़ा राम मस्ट्रोल न०09	01-09-15 से 20-09-15	10/15	18	24520
95	निर्माण रोड सडक से रमेश,अशोक,कश्मीर,किशोर मस्ट्रोल न०10	11-9-15 से 20-09-15	12/15	20	20160

क्रम सं	मजदूर का नाम व पता	अवधि	दिन	दिहाड़ी की दर	कुल दोहरा भुगतान
1.	श्री त्रिलोक चन्द सपुत्र साधू राम गाँव टीयूकर	11-9-15,19-09-15 ,20-09-15	3 दिन	170	510
2.	श्री अजय कुमार सपुत्र देव राज गाँव टीयूकर	11-09-15से20-09-15	10 दिन	170	1700
3.	श्री रमेश कुमार सपुत्र	11-9-15,19-09-15	3	170	510

	श्री मुंशी राम गाँव टीयूकर	,20-09-15	दिन		
4.	श्री सरूप चन्द सपुत्र श्री महिन्द्र पाल टूनड	11-09-15 से20-09-15	10 दिन	192	1920
				कुल दोहरा भुगतान	**4640**

उपरोक्त विवरण के आधार पर जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों में उक्त मजदूरों को दो बार भुगतान करके कुल ₹4640 अधिक भुगतान किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। अत: सम्बंधित उत्तरदायी से ₹ 4640 को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

10. अस्थाई अग्रिमों ₹1.07 लाख का समायोजन न करना : –

व्यय वाउचर सं 72 माह 03/17 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹107492 का हिम उर्जा धर्मशाला को हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशि का भुगतान किया गया था । नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिम का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन अंकेक्षण के दौरान अग्रिम के समायोजन हेतु उचित कार्रवाई न करने के कारण दिनांक 31-3-17 को **₹107492** के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थी। इस प्रकार अस्थाई अग्रिम का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिम को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

11 . औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.31 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹230932** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत पंजाहडा को अवगत करवाया गया, जोकि

उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय की गई ₹2.31 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** पर ₹230932 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत पंजाहडा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली सम्बंधित से करके पंचायत निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत पंजाहडा को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

16 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

17 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)135/2017 खण्ड–1–756–759 दिनांक 29.01.20218 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पंजाहड़ा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620881